भारतसरकार / Government of India
परमाणुऊर्जाविभाग / Department of Atomic Energy
सचिवालयसमन्वयनअनुभाग / Secretariat Co-ordination Section

अणुशक्तिभवन / AnushaktiBhavan,
छ.शि.म.मार्ग / C.S.M. Marg,
मुंबई / Mumbai – 400 001.

No.11/3/2017-SECR.COORD-DAE/ 11696 September 07, 2017

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: परमाणु ऊर्जा विभाग के चिकित्सा अधिकारियों से संबंधित प्रैक्टिस बंदी (नॉन-प्रैक्टिसिंग) भत्ते की दरों में संशोधन - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश।

Subject: Revision of rates of Non – Practicing Allowance attached to Medical Officers of the Department of Atomic Energy – VII CPC recommendation – Regarding.

डीओपीटी ने दिनांक 07.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं.12-2/2016-इ-IIIए (प्रति संलग्न) के माध्यम से7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न भतों की दरों को संशोधित करने के लिए सरकार के निर्णयों के आधार पर एनपीए की वर्तमान दरों में संशोधन कियाहै। तदनुसार, डॉक्टरों के लिए एनपीए की वर्तमान दर को संशोधित करके मूल वेतन के 20% की दर से भुगतान करने का निर्णय विभाग में लिया गया है बशर्ते, मूल वेतन तथा एनपीए को मिलाकर भुगतान की राशि रू.2,37,500/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।निम्नलिखित शर्तोंके अधीन इन आदेशों के तहत एनपीए प्रदान करने को विनियमित किया जाएगा:

DoPT vide OM No.12-2/2016-EIII.A dated 07.07.2017 (copy enclosed) have revised the existing rates of NPA based on the decisions of the Government to revise the rates of various allowances as per the recommendations of the 7th CPC. Accordingly, it has been decided in the Department to revise the present rate of NPA to doctors at the rate of 20% of the basic pay, subject to the condition that the basic pay + NPA does not exceed Rs.2,37,500/-. The following conditions shall regulate the grant of NPA under these orders:

2. संशोधित वेतन संरचना में शब्द 'मूल वेतन' का अभिप्रायसीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के नियम 3(x) में यथा परिभाषित से है अर्थात् संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है।

The term 'basic pay' in the revised pay structure shall mean 'basic pay' as defined in Rule 3(x) of CCS (RP) Rules, 2016,i.e. 'basic pay' in revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix.

3. सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना सहित उन भत्तों, जिनके संबंध में लागू आदेश अन्यथा उपबंध करते हैं, को छोड़कर प्रैक्टिस बंदी (नान-प्रैक्टिसिंग) भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों की गणना के लिए वेतन के रूप में माना जाता रहेगा।इन आदेशों के तहत मंहगाई भत्ता का अभिप्राय केन्द्र सरकार द्वारा सांतवे वेतन आयोग से संबद्ध वेतन संरचना में समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते से है।

The Non-Practicing Allowance shall continue to be treated as pay for the purpose of computation of Dearness Allowance and other allowances, except those allowances in respect of which the applicable orders provide otherwise, including calculation of retirement benefits. Dearness Allowance under these orders shall mean dearness allowance as sanctioned by the Central Government from time to time in the 7th Pay Commission – related pay structure.

4. प्रैक्टिस बंदी (नान-प्रैक्टिसिंग) भत्ता उन्हीं चिकित्सकीय पदों तक सीमित रहेगा, जिनके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 अथवा दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सीय अर्हता एक आवश्यक अर्हता के रूप में निर्धारित की गई है।पूर्व की भांति निम्नलिखित को भी पूरा किया जाना होगा:

Non Practicing Allowance shall continue to be restricted to those medical posts for which medical qualifications recognized under the Indian Medical Council Act, 1956 or under the Dentists Act, 1948 have been prescribed as an essential qualification. The following conditions shall also be fulfilled as hitherto:-

(a) यह पद क्लीनिकल पद है। The post is a clinical one.

(b) यह पद एक पूर्ण कालिक पद है। The post is a whole time post.

(c) प्राइवेट प्रैटिक्स करने की पर्याप्त गुंजाइश है तथा
There is ample scope for private practice, and

(d) जनहित में प्राइवेट प्रैक्टिस का निषेध करना आवश्यक है।
It is necessary to prohibit private practice in public interest.

5. इन आदेशों के अनुसार एनपीए की संशोधित दर 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी।
The revised rate of NPA in terms of these orders shall take effect from 1st July, 2017.

6. यह इस विषय से संबंधित पिछले आदेशों का अधिक्रमण करता है।
This supersedes previous orders issued on the subject matter.

7. इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Secretary, DAE.

(एस.एस. प्रसाद राव S.S. Prasad Rao)
अवर सचिव (एससीएस) Under Secretary (SCS)
☎ : 022 2286 2540
ई-मेल E-mail: usvig@dae.gov.in

All Heads of Constituent Units / PSUs / Aided Institutions of DAE

प्रतिलिपि Copy to: 1. संयुक्त सचिव (अनुसंधान एवं विकास) Joint Secretary (R&D)

2. संयुक्त सचिव (उद्योग एवं खनिज) Joint Secretary (I&M)
3. संयुक्त सचिव (बाह्य सम्पर्क) Joint Secretary (ER)
4. संयुक्त सचिव (वित्त) Joint Secretary (Finance)
5. सीसीए, डीएई CCA, DAE
6. निदेशक (प्रशासन), पऊवि Director (Admin.), DAE
7. पऊवि की संघटक इकाईयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रमुख All Administrative Heads of Constituent Units/PSUs/Aided Institutions of DAE
8. गार्ड फाइल Guard File